# राजस्थान सरकार
# उपभोक्ता मामले विभाग
## अधिसूचना

**क्रमांक एफ 89 (46)उ.मा.वि./ भर्ती प्रकोष्ठ./2022** **जयपुर, दिनांक:- 27.09.2022**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35) की धारा-42 उपधारा-(3) के खण्ड (क) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिपति श्री देवेन्द्र कच्छावाहा (सेवानिवृत), राजस्थान उच्च न्यायालय को अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के रिक्त पद पर नियुक्त करती है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के कार्यकाल, अन्य निबन्धन एवं शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 व राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी तथा वेतन भत्ते राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2021 के तहत देय होगें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

**(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)**
**शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)**

**क्रमांक एफ 89 (46)उ.मा.वि./ भर्ती प्रकोष्ठ./2022** **जयपुर, दिनांक:-**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री देवेन्द्र कच्छावाहा, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजसथान।
13. समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
14. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

**शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)**